4/4/25 पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश में है /राजकीय भ्रमण पर है। अतः पत्रावली दि. 2/6/25 को पेश हो।

3/6/25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधि. उप.। प्रा.पत्र धारा-5 पर मजिद बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र दि. 5/6/25 को पेश हो।

05/6/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। मामले में उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम पर की गयी बहस पर चिन्तन एंव मनन किया गया। पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमियों को अपनी पेतृक होना अंकित किया है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह साबित करें कि प्रार्थीगण मूल खातेदार हीरा डांगी की विधिक वारिसान हो और ना ही प्रकरण में हीरा डांगी का सजरा ही प्रमाणित कराया गया है। जहां तक प्रार्थना पत्र के मूल उद्देश्य मयाद अवधि का प्रश्न है तो प्रार्थीगण ने अपने पूरे प्रा. पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि प्रार्थीगण को प्रकरण के सभी तथ्यों की संदर्भ में जानकारी कब व किस दिनांक को कैसे हुई। ना ही नामान्तरण केसल होने की दिनांक ही अंकित की गयी है। प्रार्थीगण

क्रमशः

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नाथद्वारा, जि. राजसमन्द (राज.)

..... पालीबाई ..... विपक्षी ..... ग्रा. पं. विलोता .....

म मुकदमा ..... अपील ..... पत्रावली संख्या ..... 2022/86 ..... पद .....

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

द्वारा अपील के विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त कारण भी अंकित नहीं किया गया है और ना ही यह अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण को किस दिनांक से लेकर किस दिनांक तक की अवधि की मयाद में शुमार कराना चाहते है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपील समय पर प्रस्तुत नहीं करने का ऐसा कोई कारण भी अंकित नहीं किया है जो मानवीय नियन्त्रण के बाहर हो तथा प्रार्थीगण को विलम्ब की अवधि का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण किया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि यह भार प्रार्थीगण पर है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होकर विधि से वर्जित हो स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है चूंकि मामले में धारा 05 मयाद अधिनियम अस्वीकार हो अपील अपीलान्ट मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)